सारण समाहरणालय, छपरा
(जिला योजना कार्यालय)
आदेश

प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2905 दिनांक 11.07.14 एवं पत्रांक 3210 दिनांक 22.06.2016 के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत माननीय स0वि0स0 श्री मुद्रिका प्रसाद राय (तरैया वि0स0) द्वारा प्रखंडवार/नगरनिकायवार वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुमोदित योजना का प्राक्कलन तैयार कर कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल – 02, सोनपुर के द्वारा योजनावार प्राक्कलित राशि पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है तथा पत्रांक 683 दिनांक 10.06.2020 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभि0 संगठन, कार्यप्रमंडल– 02, सोनपुर के द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदन की राशि एवं अंचलाधिकारी, पानापुर के पत्रांक 188 दिनांक 12.03.2020 एवं इसुआपुर के पत्रांक 380 दिनांक 01.06.2020 के द्वारा भूमि उपलब्धता संबंधी प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर निम्नांकित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र0	प्रखण्ड	स्वीकृत योजना का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	माननीय विधायक का नाम
1	पानापुर	पानापुर प्रखंड अंतर्गत बसहियाँ पंचायत के ग्राम फतेहपुर में चैत राय के बथान के समीप चबुतरा का निर्माण।	207000.00	207000.00	श्री मुद्रिका प्रसाद राय
2	इसुआपुर	इसुआपुर प्रखंड अंतर्गत छपयाँ पंचायत के ग्राम डुनरी के दीघा पोखरा में घाट का निर्माण कार्य।	453900.00	453900.00	
		कुल योगः–	**660900.00**	**660900.00**	

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि :– (छः लाख साठ हजार नौ सौ रुपये मात्र।)

कार्यकारी एजेन्सी का नाम :– कार्य कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल– 02, सोनपुर।

निर्देश एवं शर्तेः–

1. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका 2014 का संकल्प संख्या 2905 दिनांक 11.07.2014 एवं विभागीय. संकल्प ज्ञापांक 3210 यो0 वि0 पटना, दिनांक 22.06.2016 एवं समय समय पर निर्गत विभागीय आदेश के आलोक में योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।
2. योजना का कार्य प्रारंभ करने के समय कार्य स्थल पर योजना से संबंधित सूचना पट अनिवार्य रूप से लगाना सुनिश्चित करेंगे, जिसमे योजना का नाम, मद का नाम, योजना संख्या, प्राक्कलित राशि, एजेंसी का नाम, संवेदक का नाम, कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का नाम तथा योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।
3. प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत योजना के प्राक्कलन में पुनरीक्षण मान्य नहीं होगा। यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर योजना के कार्य को पूर्ण नहीं किया जाता है, तो इसके लिए संबंधित कार्य एजेंसी एवं संबंधित अभियंता व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।
4. योजना में गुणवत्ता का ह्रास किसी भी परिस्थिथि में मान्य नहीं होगा। इसके लिए कनीय अभियंता/सहायक अभियंता मुख्य रूप से जिम्मेवार होंगे।
5. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व कार्य के मध्य में एवं योजना पूर्ण होने के उपरांत 3 (तीन) योजना का फोटोग्राफ्स लेकर उसे योजना के पूर्ण होने के उपरांत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं फाटोग्राफी की प्रति अपने योजना अभिलेख में भी रखेंगे।

6. योजना स्थल पर निरिक्षण पंजी का संधारण अनिवार्य होगा, जिसमें इस योजना के पर्यवेक्षण हेतु प्राधिकृत कनीय अभियंता/सहायक अभियंता एवं समय समय पर निरीक्षण पदाधिकारी अपना मंतव्य के साथ हस्ताक्षर करेंगे।
7. योजना में कार्य प्रारंभ करने के पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित हो लेंगे कि इस योजना में विगत पॉच वर्षों के अंतराल में इस योजना पर अन्य किसी मद से काई कार्य नहीं हुआ है तथा वर्तमान में यह योजना किसी अन्य मद अंतर्गत स्वीकृत नहीं है।
8. किसी भी परिस्थिति में निकटतम दूरी उपलब्धता को छोड़कर दुरस्थ स्त्रोत को आधार बनाने पर संबंधित अभियंता के विरूद्ध प्रशासनिक एवं विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।
9. योजना का निर्माण सरकारी भूमि पर ही करेंगे। यदि सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है तो महामहिम राज्यपाल के नाम से जमीन का निबंधन हो जाने के पश्चात ही योजना का कार्य प्रारंभ करेंगे।
10. योजना का कार्य तीन माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।
11. अंचलाधिकारी, पानापुर/इसुआपुर से भूमि संबंधी स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त है। (छायाप्रति संलग्न) अंचलाधिकारी द्वारा निर्धारित भूमि पर ही योजना का कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करें।
12. प्रत्येक माह के 2री तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला योजना कार्यालय सारण छपरा को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

ह0/-
सहायक योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 603 **/यो0 दिनांक** 18-06-20**/**

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल –02, सोनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है, कि उक्त मद में प्राप्त आवंटन से योजना का नियमानुसार कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करेगे।

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारीं, सारण छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला के बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, सारण प्रमण्डल छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय स0वि0स0 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

18-6-2020
सहायक योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।